



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274472
CG-DL-E-14072026-274472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3648]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3648]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

का.आ. 3810(अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा साइबर न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, नौसेना साइबर समूह, नौसेना मुख्यालय, पोर्टा केबिन, पश्चिम ब्लॉक-V, आरके पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली – 110066, को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थातः

(क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान-फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

उपरोक्त अधिसूचना के साथ, पहले प्रकाशित गजट अधिसूचना संख्या का.आ. 5190(ई) दिनांक 27 नवंबर, 2024, असाधारण, भाग II-धारा 3-उपधारा (ii), को केंद्रीय सरकार द्वारा निरस्त किया गया है।

[फा. सं. 2(5)/2021-सी. एस. डी]

श्री कृष्ण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2026

S.O. 3810(E).— In exercise of the powers conferred by section 79A of the information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies **Cyber Forensic Laboratory, Navy Cyber Group, Naval Headquarters, Porta Cabin, West Block-V, RK Puram, Sector 1, New Delhi - 110066** as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely: -

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
- (b) Mobile Devices Forensics.

With aforesaid notification, earlier published gazette notification No. S.O.5190(E) dated 27th November, 2024, Extraordinary, Part II- Section 3 - Sub-section (ii), is rescinded by central Government.

[F. No. 2 (5)/2021/CSD]

SHRI KRISHAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.